रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 201] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 13, 1977/आश्विन 21, 1899
No. 201] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 1977/ASVINA 21, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

Bureau of Public Enterprises

RESOLUTION

New Delhi, the 13th October 1977

No. 4/6/77-BPE(IMP).—The Government of India vide Resolution No 4/6/77-BPE(IMP) dated January 31, 1977 had decided to abolish the Industrial Management Pool with effect from March 31, 1977 The Government have reviewed this decision and decided that in supersession of the earlier orders the Industrial Management Pool (IMP) should be allowed to continue as in force prior to 31-3-1977.

2 The Government have taken the following further decisions in this context.—

(i) Those officers of the IMP who had, under the earlier orders, sought to avail of the terminal benefits or absorption in the enterprises where they were serving, may now continue in the IMP, if they so desire,

(ii) Officers who had earlier exercised their option either for availing of terminal benefits or for absorption in the enterprises in terms of the Government of India Resolution No. 4/6/77-BPE(IMP) dated January 31, 1977 may be asked to reiterate their option for availing of terminal benefits or absorption in the enterprises;

(iii) Officers who reiterate their desire to be absorbed in the enterprises would get the benefits as mentioned in para 2 of the earlier Resolution dated January 31, 1977 Similarly, those who adhere to their earlier option to avail of terminal benefits would be entitled to the benefits contained in para 3 of the said Resolution.

3. In accordance with the above decisions, all officers of the IMP are required to indicate in the form specified, whether they would like to continue in the IMP or seek terminal benefits/absorption in enterprises as per their earlier options given in accordance with the Resolution dated January 31, 1977

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/ Departments of the Government of India and the Public Enterprises of the Government of India for implementation

G. C. BAVEJA,
Addl. Secy & Director General, BPE

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(सरकारी उद्यम कार्यालय)

संकल्प

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1977

सं० 4 6 77—बी० पी० ई० (आई० एम० पी०)—भारत सरकार ने दिनांक 31 जनवरी, 1977 के 4/6/77—बी० पी० ई० (आई० एम० पी०) संख्यक संकल्प के द्वारा औद्योगिक प्रबन्ध समूह को दिनांक 31 मार्च, 1977 से समाप्त करने का निर्णय किया था। सरकार ने उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करके पिछले आदेशों का अधिलंघन करते हुए, अब यह निर्णय किया है कि औद्योगिक प्रबन्ध समूह को 31-3-77 से पहले की तरह, यथावत चालू रखा जाय।

2. सरकार ने इस संदर्भ मे कुछ और निर्णय भी किए हैं, जो इस प्रकार है —

(i) औद्योगिक प्रबन्ध समूह के जिन अधिकारियो ने पिछले आदेशो के अनुसार सेवान्त लाभ प्राप्त करने या वे जिन उद्यमो मे काम कर रहे थे, उनमें अपना अन्तर्लयन कराने के लिए लिख दिया था, वे यदि चाहे, तो अब औद्योगिक प्रबन्ध समूह में बने रह सकते है ,

(ii) जिन अधिकारियो ने भारत सरकार के दिनांक 31 जनवरी, 1977 के 4/6/77-बी० पी०ई० (आई० एम० पी०) संख्यक सकल्प के अनुसार सेवान्त लाभ प्राप्त करने या उद्यमो मे अन्तर्लयन कराने के लिए, अपना विकल्प दे दिया था, उनसे फिर यह पूछा जाये कि वे सेवान्त लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या उद्यमों में अपना अन्तर्लयन चाहते है ;

(iii) जो अधिकारी अभी भी उद्यमो मे अपना अन्तर्लयन चाहे, उन्हें दिनांक 31 जनवरी, 1977 के संकल्प के पैरा 2 मे उल्लिखित सभी लाभ मिलेगे। इसी प्रकार जो अधिकारी अपने पिछले विकल्प के अनुसार अभी भी सेवान्त लाभ लेना चाहें, वे उक्त अधिनियम के पैरा 3 में उल्लिखित लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं ।

3. उपर्युक्त निर्णयो के अनसार औद्योगिक प्रबन्ध समूह के सभी अधिकारियो को अब एक निर्दिष्ट प्रपत्र में यह सूचित करना होगा, कि वे औद्योगिक प्रबन्ध समूह में बना रहना चाहते है या उन्होने 31 जनवरी, 1977 के सकल्प के अनुसार पहले जो विकल्प दिया था, उसके अनुसार सेवान्त लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उद्यमों में अन्तर्लयन चाहते हैं ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा भारत सरकार के सभी सरकारी उद्यमों को कार्यान्वयन के लिए भेजी जाय ।

ज्ञान चन्द बवेजा,
अपर सचिव एवं महानिदेशक, सरकारी उद्यम कार्यालय ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977